

क्रमांक : शिक्षा-यू (जी-3)होस्टलज / 2017- 9343
कार्यालय
शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना हि0प्र0
दिनांक: उना -174303 1.1.2019

सेवा में

समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक
रा0व0मा0पा0 / रा0उ0पा0

विषय:-

Regarding Proposals for construction of new ST Girls /Boys Hostels

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के बारे में शिक्षा निदेशक उच्चतर हि0प्र0 के पत्र संख्या : शिक्षा -एच(9)बी (4)-6 / 2018(होस्टलज)-भाग-11 दिनांक 27.12.2018 द्वारा **ST Girls /Boys Hostels** के बारे में इस कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ है 1 जिसकी छायाप्रति भेजकर निर्देश दिये जाते हैं 1 कि आप **website-www.educationhp.org** के दिशा निर्देश अनुसार ही प्रस्ताव तैयार करके दो दिन के विशेष सन्देश द्वारा उपलब्ध करवाये 1 ताकि समय पर रिपोर्ट समेकित करके शिक्षा निदेशक उच्चतर हि0प्र0शिमला को भेजी जा सके 1 देरी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे 1

सलग्न:- एक

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्या समः
प्रतिलिपि:-

दिनांक उना-174303

2018

1. शिक्षा निदेशक उच्चतर हि0प्र0शिमला को सूचना हेतु प्रेषित है 1

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना हि0प्र0

संख्या: शिक्षा-एच(9)बी(4)-6/2018-(होस्टलज)-भाग-11
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ।

सेवा में,

- 1.समस्त प्राचार्य,
राजकीय डिग्री कॉलेज/संस्कृत कॉलेज, हि0प्र0 ।
- 2.उप शिक्षा निदेशक(उच्चतर),
विलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, किन्नौर स्थित रि.पी.ओ.
ला0स40, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-171001

दिसम्बर, 2018

विषय-
ज्ञापन,

Regarding proposals for construction of new ST Girls/Boys Hostels.

उपरोक्त विषय पर आयुक्त-कम-प्रधान सचिव(जनजातिय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: टी.बी.डी.एफ(टी.डी.एम.)4-5/2007-IX, दिनांक 05.12.2018 के माध्यम से अवगत करवाया है कि माननीय केन्द्रीय राज्य मन्त्री, जनजातिय मामले, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2018 को राज्य का दौरा किया और आग्रह किया कि स्कूल/कॉलेज/अन्य संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए नए होस्टल के निर्माण हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करें ।

इस सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की छात्र-छात्राओं के लिए अपने जिले से जहां अनुसूचित जनजाति की छात्र/छात्राओं की संख्या अधिक हो का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति राज्य मन्त्रालय द्वारा जारी संलग्न दिशानिर्देशों (website-www.educationhp.org पर उपलब्ध है) के मध्यनजर रखते हुए, प्रस्ताव निम्न शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त तैयार करें-

- संस्थान के अधीन कितने छात्रावास संचालित हैं और इन छात्रावासों में ठहराव हेतु छात्र/छात्राओं के लिए कितनी-कितनी सुविधा वाले छात्रावास उपलब्ध है ।
- यह भी आश्वस्त करें कि उक्त छात्रावास में छात्र-छात्राएं उपरोक्त सुविधा से लाभान्वित हों ।
- संस्थान में छात्रावास के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि वारे आगामी कार्यवाही की जाये और यह सुनिश्चित कर लें कि छात्रावास हेतु चिन्हित की जाने वाली भूमि विवाद रहित हो ।
- विद्यार्थियों का नामांकन पृथक-पृथक वर्गवार ।
- चयनित भूमि की नवीनतम, जमाबन्दी तथा ततीमा की प्रति के साथ औचित्य सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र-1 व 11 (जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के द्वितीय भाग के अध्याय-6 के सम्भाग-6.4 के पृष्ठ-67 से 69 में प्रकाशित है) के अनुरूप तैयार कर यथाशीघ्र निदेशालय को प्रेषित करें ।

इस प्रस्ताव के प्रेषण हेतु प्राथमिकता के आधार पर, व्यक्तिगत रुचि लेकर, बिना किसी विलम्ब के भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही की जा सके । इसे अति-आवश्यक समझा जाये ।

भवदीय,

(डॉ० अमरजीत कुशर्मा),
शिक्षा निदेशक(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

27 DEC

dhe-sml-hpr@gov.in, Phone No.0177-2656621
दिसम्बर, 2018

पृष्ठांकन साम.अख्यक दिनांक शिमला-171001
प्रतिलिपि-

1)

2)

सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या: शिक्षा-ए-ग(8)-02/2001-1, दिनांक 10.12.2018 के सन्दर्भ में ।
तकनीकी अधिकारी(कम्प्यूटर), उच्चतर शिक्षा निदेशालय को इस कथन के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त प्रस्ताव का प्रकाशन उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कर कृतार्थ करें ।

शिक्षा निदेशक(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।